न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. धीरज कुमार पुत्र श्री द्वारकानाथ जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 11, कश्मीरी मोहल्ला, जैतसर तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. इकबाल कौर पत्नी श्री मनमोहन कुमार जाति ब्राहमण निवासी फ्लेट नं. 8, ब्लॉक ए, वर्मा अपार्टमेन्ट, बीरखाना, बिलो टलान्ड, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
2. विकास पुत्र श्री मनमोहन कुमार जाति ब्राहमण निवासी फ्लेट नं. 8, ब्लॉक ए, वर्मा अपार्टमेन्ट, बीरखाना, बिलो टलान्ड, शिमला (हिमाचल प्रदेश) जरिये मुखत्यार आम इकबाल कौर पत्नी श्री मनमोहन कुमार जाति ब्राहमण निवासी फ्लेट नं. 8, ब्लॉक ए, वर्मा अपार्टमेन्ट, बीरखाना, बिलो टलान्ड, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
3. शीतल पुत्री श्री मनमोहन कुमार जाति ब्राहमण निवासी फ्लेट नं. 8, ब्लॉक ए, वर्मा अपार्टमेन्ट, बीरखाना, बिलो टलान्ड, शिमला (हिमाचल प्रदेश) जरिये मुखत्यार आम इकबाल कौर पत्नी श्री मनमोहन कुमार जाति ब्राहमण निवासी फ्लेट नं. 8, ब्लॉक ए, वर्मा अपार्टमेन्ट, बीरखाना, बिलो टलान्ड, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री गुलशन कुमार सेतिया वकील प्रार्थी
2. श्री ओम थायल वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 172/2013 निर्णय दिनांक - 26.11.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि वाके चक 4 एल.सी.(ए) तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 4(132/356) की 4.554 है., 5(133/356) की 3.606 है. व 6(134/356) की 1.265 है. कुल 9.425 है. भूमि प्रार्थी की दादी एवं मु.नं. 5(133/356) की 1.541 है. भूमि प्रार्थी के दादा के नाम से खातेदारी थी। इन दोनों ने कोई वसीयत नहीं की थी तथा इनकी मृत्यु पश्चात् भूमि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी विजयनगर

Scanned by CamScanner

ता 3 व अन्य वारिसान को न्यागत हुई। जिसमें अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मु.नं. 5(133/356) के किला नं. 12 की 0.253 है., 13 की 0.188 है., 17 की 0.139 है., 18 सालम, 19 सालम, 20 की 0.083 है., 21 ता 23 सालम-सालम, 24 की 0.240 है., 25 की 0.025 है. कुल 2.193 है. भूमि आई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा यह भूमि दिनांक 13/04/2013 से दिनांक 12/04/2014 तक प्रार्थी को 50,000/- रूपये में ठेके (पट्टे) पर दी जाकर प्रार्थी को दिनांक 13/04/2013 को कब्जा सुपुर्द किया था तथा जिस विवादित जमीन को प्रार्थी द्वारा काश्त भी कर लिया गया। सम्पूर्ण पट्टा राशि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की हिदायत पर अप्रार्थी संख्या 2 के यूको बैंक शिमला के बचत खाता संख्या 18320100002230 में दिनांक 14/02/2013 को यूको बैंक जैतसर की मार्फत अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार धारा 44 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी विवादित भूमि का दिनांक 12/04/2014 तक विधिक पट्टेदार हो गया। विवादित भूमि पट्टे पर देने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थी को नाजायज बेदखल कर भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा अन्य हाथों में मुन्तकिल कर नाजायज बेदखल करना चाहते है। जबकि यह भूमि प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को प्रार्थी के दादा एवं दादी से विरास्तन प्राप्त हुई है तथा जितना प्रतिफल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को अन्य व्यक्ति से मिल रहा है उतना प्रतिफल प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को अदा करने के लिए तैयार एवं रजामन्द है। इसलिए धारा 22 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित कृषि भूमि को क्रय करने का अधिमानी अधिकार प्रार्थी का बनता है। प्रार्थी विवादित भूमि दिनांक 12/04/2014 तक बतौर पट्टेदार/ठेकेदार काश्त करने एवं विक्रय करने की दशा में इसे उसी प्रतिफल पर क्रय करने का विधिक अधिकारी है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा ऐसा न कर प्रार्थी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दिनांक 14/04/2013 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 विवादित भूमि पर आये तथा आपराधिक बल एवं प्रदर्शन से प्रार्थी को कब्जा से नाजायज बेदखल करने का प्रयास किया तथा धमकी दी कि वे जल्द ही रकबा अन्य हाथों में मुन्तकिल कर प्रार्थी को नाजायज बेदखल करेंगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से पट्टा के आधार पर कब्जा बनाये रखने एवं उसी प्रतिफल में रकबा प्रार्थी को विक्रय करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। प्रार्थी इस आश्य का स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को बतौर पट्टेदार विवादित भूमि से दिनांक 12/04/2014 तक बेदखल करने से बाज व ममनू रहे तथा प्रार्थी द्वारा देय प्रतिफल के बराबर प्रतिफल के बराबर प्रतिफल पर भूमि अन्य हाथों में मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी द्वारा देय प्रतिफल पर भूमि विक्रय कर दी जाती है एवं ता फैसला वाद प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी इस आश्य का अस्थाई व्यादेश जारी करवाने का विधिक अधिकारी है कि विवादित भूमि को विक्रय की दशा में, मिलने वाले प्रतिफल के समान प्रतिफल प्रार्थी द्वारा देने पर रकबा अन्य व्यक्ति को विक्रय करने से बाज व ममनू रहे तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति यथावत रखते हुए प्रार्थी को दिनांक 12/04/2014 तक बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

लगातार.....3

(R.A.S.)
अधिकारी
जयनगर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का अस्थायी व्यादेश जारी किया जावे कि अप्रार्थीगण वाके चक 4 एल.सी.(ए) तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 5(133/356) के किला नं. 12 की 0.253 है., 13 की 0.188 है., 17 की 0.139 है., 18 सालम, 19 सालम, 20 की 0.083 है., 21 ता 23 सालम-सालम, 24 की 0.240 है., 25 की 0.025 है. कुल 2.193 है. भूमि को प्रार्थी द्वारा देय प्रतिफल के समान या कम प्रतिफल पर अन्य व्यक्ति को विक्रय करने से बाज व ममनू रहे तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकॉर्ड व मौका की स्थिति यथावत रखते हुए प्रार्थी को दिनांक 12/04/2014 तक बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अपनी असहमति प्रकट करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा उक्त भूमि किसी प्रकार दिनांक 13/04/2013 से 12/04/2014 तक के लिए प्रार्थी को ठेके/पट्टे पर नहीं दी और न ही कोई राशि भूमि को पट्टा पर देने बाबत प्राप्त की है और न ही उक्त वर्णित खाता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से है बल्कि उक्त खाता अप्रार्थी संख्या 1 का है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए पुष्पेन्द्र शर्मा को काश्त के लिए दी हुई है। अप्रार्थीगण दिनांक 14/04/2013 को उक्त भूमि न तो गये न ही प्रार्थी का किसी प्रकार हम अप्रार्थीगण के साथ कोई सम्पर्क हुआ है मात्र वाद को बल देने के लिए यह गलत व झूठे तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थी किसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार टेनेन्ट है एवं हमारे द्वारा उक्त भूमि को किसी प्रकार प्रार्थी को पट्टा आदि पर नहीं दी है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार टेनेन्ट है एवं उक्त भूमि के संबंध में समस्त लाभों को प्राप्त करने एवं भूमि बाबत प्रत्येक संव्यवहार करने के समस्त अधिकार अप्रार्थीगण में निहित है। चूंकि अप्रार्थीगण अपनी भूमि से दूर निवास करते है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि को औने पौने दामों में हासिल करना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी अप्रार्थीगण पर नाजायज दबाव बनाने की फिराक में है एवं इस हेतु अप्रार्थीगण को नाजायज तंग परेशान करने के लिए यह अनवानी वाद पत्र/प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि वाद विवाद में अप्रार्थीगण उलझकर अपनी बेशकीमती भूमि को विवादित भूमि मानकर औने पौने दामों में प्रार्थी को देकर चले जावे जो कि किसी प्रकार कानूनी दृष्टी से सही नहीं है। एवं ऐसा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही प्रार्थी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य अपने वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि हेतु अन्य व्यक्ति से स्वीकार्य कोई प्रतिफल के बराबर प्रतिफल अदा किया हो या इस हेतु तत्परता दर्शायी हो। आदि का प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 4 एल.सी.(ए) तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 5(133/356) के किला नं. 12 की 0.253 है., 13 की

लगातार.........4

...िया (R.A.S.)
...ण्ड अधिकारी
... विजयनगर

Scanned by CamScanner

0.188 है., 17 की 0.139 है., 18 सालम, 19 सालम, 20 की 0.083 है., 21 ता 23 सालम-सालम, 24 की 0.240 है., 25 की 0.025 है. कुल 2.193 है. भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रथम दृष्टया भूमि को हिस्सा ठेके पर लेने में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कब्जे सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, ना ही अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.12.10 14:42:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: